कार्यालय नगरपालिका मण्डल नीमकाथाना (सीकर)
बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 06.07.2015 को प्रातः 10.30 बजे से नीमकाथाना नगरपालिका मण्डल की साधारण सभा की बैठक अध्यक्ष श्री त्रिलोक दीवान की अध्यक्षता में प्रारम्भ की गयी। जिसमें निम्नानुसार सदस्यगण उपस्थित रहे :–

1	माननीय श्रीमान् त्रिलोक दीवान	अध्यक्ष
2	'' '' राजेन्द्र कुमार	उपाध्यक्ष
3	'' श्रीमति विधा	सदस्या
4	'' श्रीमान् महेन्द्र	सदस्य
5	'' श्रीमती कमला	सदस्या
6	'' '' अणची	सदस्या
7	'' श्रीमान् हीमेश कुमार	सदस्य
8	'' '' रतन	''
9	'' श्रीमती सन्तोष	सदस्या
10	'' श्रीमान् जयप्रकाश	सदस्य
11	'' '' रूड़मल	''
12	'' '' लेखराज	''
13	'' श्रीमति अंजु देवी	सदस्या
14	'' श्रीमान् रमेश	सदस्य
15	'' '' जयचन्द	''
16	'' '' छगनलाल	''
17	'' '' बाबूलाल	''
18	'' श्रीमती विद्या	सदस्या
19	'' श्रीमान् शशिकान्त	सदस्य
20	'' '' गिगाराम	''
21	'' श्रीमति तीजा देवी	सदस्या
22	'' श्रीमान् होशियार सिंह लाम्बा	सदस्य
23	'' श्रीमती मोनू	सदस्या

सर्वप्रथम मा0 पार्षद श्री महेन्द्र गोयल के पिताश्री का असामयिक निधन हो जाने से अधक्ष महोदय द्वारा श्रदांजली देने हेतु 02 मिनट का मौन रखने हेतु निवेदन किया गया तथा सभी सदस्यों के द्वारा 02 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रदाजंली दी गई तत्पयश्चात् सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी :–

प्र0सं0 01 नगरपालिका नीमकाथाना को आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा दिये गये 50.00 लाख रू0 के ऋण राशि के संबंध में विचार ।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि पिछले मण्डल के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार के आदेश से आर.यू.आई.डी.पी. के द्वारा 50.00 लाख रूपये का ब्याज मुक्त ऋण पालिका को उपलब्ध करवाया गया था, किन्तु तत्समय ऋण एग्रीमेन्ट व दस्तावेजों पर तत्कालीन अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर नहीं हो पाये थे। अब बार–बार एग्रीमेन्ट व दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने हेतु निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर द्वारा दूरभाष पर निर्देशित किया जा रहा है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों की राय जाननी चाही गयी, जिस पर सभी सदस्यों द्वारा बाद विचार विर्मर्श कर सर्वसवम्मति से निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष महोदय एग्रीमेंट व दस्तावेजों पर पालिका की तरफ से हस्ताक्षर करे।

प्र0सं0 02 खाद्य सुरक्षा के संबंध में विचार ।

अधिशाषी अधिकारी द्वारा बताया गया कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय सीकर तथा श्रीमान् जिला रसद अधिकारी सीकर के यहां से खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत पात्र परिवारों की स्वीकृत सूची का पुनः सत्यापन करवाकर खाद्य सुरक्षा सूची में से अपात्र परिवारों के नाम हटाने तथा सूची में पात्र परिवारों के नामों को शामिल करने हेतु बार–बार निर्देशित किया जा रहा था। पालिका द्वारा समस्त कार्यवाही कर सूचियों के सत्यापन का कार्य करवा लिया गया था तथा मण्डल से अनुमोदन कराया जाना था, किन्तु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय सीकर ने अपने पत्र क्रमांक 1206 दिनांक 04.06.2015 के द्वारा सत्यापन की कार्यवाही आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गयी है।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब खाद्य सुरक्षा की सूची मांगी जावे तब मण्डल से सत्यापित करवाकर भेजी जावे।

प्र0सं0 03 स्ट्रीटलाईनों में लगे हुये वायरों के स्थान पर इंसुलेटेड वायर लगाने पर विचार।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि पालिका क्षेत्र में स्ट्रीट लाईटों के तारों पर बहुत जगह लोगो द्वारा तार डाल लिये जाते है तथा अभी तक मनमाने तरीके से पालिका द्वारा विधुत की केबिल डालकर बहुत सी कॉलोनियों में अपने तरीके से लाईट चालू की गयी हैं व बहुत जगह विधुत विभाग के पालिका कि स्ट्रीट लाईटों के मीटर खराब है व स्ट्रीट लाईट जीर्ण–शीर्ण अवस्था में काम कर रही है। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा सोडियम लाईट,ट्यूबलाईट आदि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तथा केवल एल.ई.डी. लाईट ही लगाने हेतु आदेशित किया गया है।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि अजमेर विधुत वितरण निगम लि0 नीमकाथाना को पत्र लिखा जाकर व पत्रावली जमा करवाकर पालिका कि स्ट्रीट लाईटों के तारों को इंसुलेटेड तारों में तब्दील करवाया जावे, स्ट्रीट लाईट दुरूस्त करवायी जावे व टाईमर स्वीच लगवाये जावे उक्त कार्य की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है व बजट मद में यदि राशि कम हो, तो संशोधित बजट तैयार कर प्रस्तुत किया जावे तथा मण्डल द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि कुछ जगह नई स्ट्रीट लाईट लगवाया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिये स्वीकृति दरों पर 100 ट्यूबलाई मय फिक्चर्स के इमरजेंसी आवश्यकता को देखते हुये क्रय किये जावे व एल.ई.डी. लाईटों को क्रय करने की प्रकिया भी साथ–साथ पूर्ण कर आगे से एल.ई.डी. क्रय करने की व्यवस्था की जावे। इस पर अध्यक्ष महोदय व अधिशाषी अधिकारी द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा एल.ई.डी. लाईटे लगाई जाने हेतु निर्देशित किया हुआ है।

अतः ट्यूबलाईट फिक्चर्स क्रय किया जाना उचित नही होगा। शीघ्र ही एल.ई.डी लाईटे क्रय कि जाकर लगवा दी जायेगी।

प्र0सं0 04 भूमिगत पानी रिचार्ज हेतु आमजन को जागरूक करने के संबंध में विचार।

वर्षा के पानी को भूमिगत रिचार्ज करने हेतु अध्यक्ष महोदय ने बताया कि भूमिगत पानी पालिका क्षेत्र में समाप्त सा हो गया है तथा आनेवाले समय में समस्त नागरिकों को पेयजल के लिये भी बहुतसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वर्षा के पानी को रिचार्ज करने हेतु राज्य सरकार व पालिका ने नये भवनों के निर्माण पर इस संबंध में नियम भी बना रखे है, किन्तु फिर भी इसके लिये आमजन को जागरूक करना बहुत आवश्यक है तथा पालिका द्वारा भी अपने स्तर पर वर्षा के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा रिचार्ज करना आवश्यक है ताकि भूमिगत जल स्तर को बढाया जा सके।

बाद विचार–विमर्श कर सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आमजनता को जागरूक करने हेतु सभी तरह के प्रयास करे तथा सभी सदस्य अपने–अपने क्षेत्र

में सरकारी भूमि चिन्हित कर, जहां–जंहा वर्षा के पानी का भराव होता है, उन स्थानों के नामों की सूची लिखित में पालिका को प्रस्तुत करे। कनिष्ठ अभियंता शीघ्र वर्षा के जल को रिचार्ज करने हेतु वाटर हावेस्टिंग सिस्टम बनवाये जाने हेतु तकनीकि तकमिना तैयार कर प्रस्तुत करे व वाटर हावेस्टिंग सिस्टम पालिका अपने स्तर पर बनवाये जिसकी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्र0सं0 05 नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक पार्क विकसित करने के संबंध में विचार।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक पार्क विकसित करने के लिये राजस्थान पत्रिका ने अभियान चलाया है तथा सार्वजनिक पार्क बनाने की आम नागरिकों की समग्ररूप से मांग है। इस पर बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(अ) कपिल मण्डी में मुख्य बाजार में स्थित शहीद जे0पी0 यादव पार्क में सम्पूर्ण साफ सफाई दुरूस्त करवाकर पेड़ लगाये जावे व लोगो की बैठने की व्यवस्था की जावे व नई लाईट लगवायी जावे।

(ब) नगरपालिका के नेहरू पार्क में मिट्टी से भराव फिलिंग करवाया जाकर नेहरू पार्क की चारदीवारी को ऊंची करवायी जावे, रोड़ साईड की दीवार पर रैलिंग लगवायी जावे, चारदीवारी के सहारे–सहारे पेड़ लगाये जावे व पेड़ों की जगह को छोड़कर नागरिको के घूमने हेतु ट्रैक का निर्माण करवाया जावे। पार्क के छोटे गेट को बदलवाकर घूमनेवाला गेट लगवाया जावे ताकि आवारा पशु आदि अन्दर प्रवेश नहीं कर सके तथा स्टेज के सहारे पेशाबघर का निर्माण कराया जावे।

(स) पालिका क्षेत्र में सरकारी भूमियों को चिन्हित करने हेतु एक सेवानिवृत्त पटवारी अथवा गिरदावर को संविदा पर रखा जाकर भूमियों का चिन्हीकरण करवाया जावे तथा पालिका की भूमि पर चारदिवारी का निर्माण करावे व अतिक्रमण मुक्त करवायी जावे। यदि संविदा पर पर सेवानिवृत्त पटवारी या गिरदावर नहीं मिलने पर उक्त कार्य कंसलटेंट से माध्यम से करवाया जाकर रिकॉर्ड संधारित किया जावे।

(द) इस प्रकार चिन्हित भूमियों में से जगह का चयन किया जाकर पार्को के रूप में पालिका भूमि पर पार्क विकसित किये जावे।

प्र0सं0 06 पालिका द्वारा जारी पुराने पट्टों के पट्टा रजिस्टरों की समरी बनाने, रजिस्टरों का लेमिनेशन करवाने पर विचार।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि पालिका के शुरूआती समय से लेकर अभी तक पालिका द्वारा जारी किये गये पट्टों के कई अलग अलग रजिस्टर बनाये हुये है तथा जो जीर्ण–शीर्ण है। अध्यक्ष महोदय ने रजिस्टर मंगवाकर अवलोकन हेत रजिस्टरों को सदन के समक्ष रखा गया तथा अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मेरे द्वारा पूर्व में इन सभी रजिस्टरों का विवरण की समरी एक रजिस्टर में बनाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी पालना में करीब–करीब सभी रजिस्टरों की समरी का विवरण बनकर तैयार है। तथा पालिका का पट्टों का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड कुछ समय बाद नष्ट होने के कगार पर है। अतः इसका समुचित रख रखाव करना उचित होगा।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधिशाषी अधिकारी पट्टे के रजिस्टरों की तैयार की गयी समरी की जांच कर सत्यापित कर अपने हस्ताक्षर करे तथा सभी रजिस्टरों के प्रत्येक पृष्ठ को स्कैन करवाकर शाफ्ट कॉपी तैयार कर सुरक्षित रखे तथा कम्प्यूटर में भी रखा जावे व सम्भव हो तो पालिका की वेबसाईट पर भी अपलोड करे । तत्पश्चात् पट्टा रजिस्टरों के प्रत्येक पृष्ठ को लेमिनेट करवाकर सुरक्षित रखने की समस्त कार्यवाही सम्पादित की जावे।

प्र0सं0 07 पालिका की वेबसाईट पर सूचना डलवाने के कार्य को अंतिम रूप देने पर विचार।

अध्यक्ष महोदय ने पालिका द्वारा तैयार की जा रही वेबसाईट की जानकारी देते हुये

सदन को बताया कि पालिका संबंधित सूचना वेबसाईट पर डाली गई है तथा मुख्य –मुख्य नियम, मण्डल के कर्तव्य, मण्डल व समितियों की बैठकों का विवरण,सदस्यों की सूची,समिति सदस्यों की सूची व ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने व शिकायत आदि के प्रावधान कराये गये है। इसके बारे में सदस्यों से अन्य कुछ और सुधार हेतु सुझाव आंमत्रित किये गये।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष महोदय द्वारा डलवायी गयी सभी सूचनाओ से सही है इनको अन्तिम रूप देकर वेबसाईट को शिघ्र चालू कराने की कार्यवाही की जावे।

प्र0सं0 08 श्री सांवलराम यादव व विरांगना श्रीमति कांता यादव, वार्ड नं. 23 छावनी नीमकाथाना द्वारा शहीद सुनिल कुमार की मूर्ति स्थापना के लिये भूमि उपलब्ध कराने के क्रम में विचार।

अध्यक्ष महोदय ने श्री सांवलराम यादव व विरांगना श्रीमति कांता यादव वार्ड नं. 23 छावनी नीमकाथाना द्वारा शहीद सुनिल कुमार की मूर्ति स्थापना के लिये भूमि उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त आवेदन सदन में रखा तथा इस बारे में भूमि संबंधि सुझाव आंमत्रित किये गये।

बाद विचार विमर्श कर कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम पालिका भूमि का चिन्हिकरण करवाकर कब्जा लिया जावे तत्पश्चात् विचार किया जाना सम्भव होगा।

प्र0सं0 09 वार्ड नं. 20 में कोटपूतली मार्ग पर उत्तर दिशा में न0पा0 की भूमि पर बस स्टॉप सेन्टर, पार्क, शौचालय आदि निर्माण करने हेतु छावनी विकास समिति द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर विचार।

छावनी विकास समिति द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन सदन के समक्ष रखा गया तथा अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कार्यपालक समिति के निर्णय के अनुसार समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाकर उक्त भूमि के संबंध में मिल्कीयत सबूत मांगे गये थे, जिसके जवाब में श्री ब्रहमदत्त मोदी द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा इसके संलग्न दस्तावेज सदन के पटल पर रखे गये । सदस्यों ने चर्चा कर बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच हेतु उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र महरानियां की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया तथा सदस्य श्री जयप्रकाश शर्मा व सदस्य श्री रमेश को समिति का सदस्य नियुक्त किया जाकर निर्णय लिया कि उक्त समिति गहनता से जांच कर, जांच रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जावे।

प्र0सं0 10 श्री अटल विश्वास नीमकाथाना द्वारा प्लाट नं. 04 की पत्रावली के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में विचार।

अध्यक्ष महोदय ने श्री अटल विश्वास नीमकाथाना द्वारा इन्दिरा कॉलोनी के प्लाट नं. 04 का पट्टा चाहने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र, शपथ पत्र, निर्माण स्वीकृति व लीज मुक्ति प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजो की प्रति प्रस्तुत की गई। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि उक्त पत्रावली अधिशाषी अधिकारी तथा शाखा प्रभारी से बार–बार मांगे जाने पर बताया कि उक्त पत्रावली पालिका में उपलब्ध नहीं है तथा शाखा प्रभारी द्वारा बताया कि उक्त पत्रावली चार्ज में भी नहीं मिली है।

बाद विचार विमर्श कर सभी सदस्यों ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि यदि पत्रावली नहीं मिलती है, तो इसकी अधिशाषी अधिकारी पुलिसथाने में एफ.आई.आर. दर्ज करावे तथा निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर से दिशा निर्देश लिये जाकर प्रार्थी को पट्टा दिये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जावे।

तत्पश्चात् सघन्यवाद सभा की कार्यवाही समाप्त की गयी।

एसडी	**एसडी**
अध्यक्ष	**अधिशाषी अधिकारी**
नगरपालिका नीमकाथाना	**नगरपालिका नीमकाथाना**

क्रमांकःन0पा0नीम0 / 2015–16 / दिनांकः

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् उपशासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, सीकर।
3. श्रीमान् उपनिदेशक(क्षेत्रीय)महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
4. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, नीमकाथाना।
5. माननीय श्री प्रेमसिंह बाजोर, विधायक महोदय, नीमकाथाना।
6. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नीमकाथाना।
7. श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नीमकाथाना।
8. श्रीमान् वार्ड पार्षद श्री/श्रीमती...।
9. समस्त शाखा प्रभारी को पालनार्थ।
10. गार्ड पत्रावली।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका नीमकाथाना